<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)</u>

पीठासीन अधिकारीः— ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 10/2022 **दायर दिनांकः 14.07.2022**

उनवान

1. रामचन्द्र (मृतक)
1/1. मोत्या बाई पत्नि स्व० रामचन्द्र जाति मीणा
1/2. बाबूलाल पुत्र रामचन्द्र जाति मीणा
1/3. रूपचन्द पुत्र रामचन्द्र जाति मीणा
1/4. चमेली बाई पुत्री रामचन्द्र जाति मीणा
1/5. सुशीला बाई पुत्री रामचन्द्र जाति मीणा निवासीगण बमोरी तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
2. अशोक उम्र 42 वर्ष पुत्र छीतरलाल जाति मीणा निवासी बमोरी तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

प्रार्थीगण

बनाम

1. चम्पा बाई पुत्री जीवनलाल जाति ब्राहमण निवासी बमोरी तहसील अटरू
2. श्याममुरारी पुत्र जयशंकर जाति ब्राहमण निवासी बमोरी तहसील अटरू
3. रामस्वरूप पुत्र मन्नालाल जाति धाकड़ निवासी बमोरी तहसील अटरू
4. नरेन्द्र कुमार पुत्र रामस्वरूप जाति धाकड़ निवासी बमोरी तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
5. भगवती बाई पत्नी गिरधारी जाति धाकड निवासी बमोरी तहसील अटरू
6. राजेश बाई पत्नी राजमल जाति धाकड निवासी बमोरी तहसील अटरू
7. शिवशंकर पुत्र प्रभूलाल जाति कुम्हार निवासी बमोरी तहसील अटरू
8. रामचन्द्र पुत्र धन्नालाल जाति धाकड निवासी बमोरी तहसील अटरू
9. लक्ष्मीनारायण पुत्र श्याममुरारी जाति ब्राहम्ण निवासी बमोरी तहसील अटरू
10. ब्रदीलाल पुत्र प्रभूलाल जाति कुम्हार निवासी बमोरी तहसील अटरू
11. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार महोदय तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' आर0टी0एक्ट0</u>

उपस्थिति :—

प्रार्थी :— विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा

अप्रार्थीगण :—

निर्णय

दिनाकः 30.06.2025

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्र्तगत धारा 251 'क' आर. टी. एक्ट. का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल बमोरी पटवार क्षेत्र बमोरी तहसील अटरू जिला बारां (राज०) में खाता संख्या 317 का ख.नं. 274 का रकबा 1.46 हे0 आराजी प्रार्थी क्रम 1 के तथा खाता संख्या 120 का ख.नं. 1039/274 का रकबा 1.46 हे0, ख.नं. 1040/808 का रकबा 1.72 हे0 कुल किता 2 का कुल रकबा 3.18 हे0 में हिस्सा 1/5 आराजी प्रार्थी क्रम 2 के कब्जे एवं खाते की स्थित है। प्रार्थना पत्र के साथ नकल नवीन जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस एवं नजरी नक्शा पेश है। जो काबिल गौर है। प्रार्थीगण सदैव से वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित अपने खाते एवं स्वामित्व की आराजी पर ग्राम एवं माल बमोरी की आराजी ख.नं. 283, 1174/276, 282, 277, 279, 1018/208, 1172/274, 276 एवं 278 के बीच की मेड़ पर होकर अपने खेत ख.नं. 274 पर प्रार्थी क्रम 1 तथा ख.नं. 1039/274 पर प्रार्थी क्रम 2 आते जाते रहे है तथा कृषि यंत्र हल कूली, ट्रेक्टर ट्रोली लाते ले जाते रहे है। लेकिन अभी मौके पर रास्ते में अप्रार्थी क्रम 3 रामस्वरूप ने पत्थर डाल दिये है तथा रास्ता अवरूद्ध कर दिया है। जिससे प्रार्थीगण को ट्रेक्टर ट्रोली कृषि यन्त्र लाने ले जाने में बाधा उत्पन्न हो गई है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के उक्त खेत पर जाने का अन्य कोई रास्ता नही है। इसलिए ग्राम बमोरी के ख.नं. 283, 1174/276, 282, 277, 279, 1018/208, 1172/274, 276 एवं 278 के बीच की मेड़ पर होकर प्रार्थीगण के खेत ख.नं. 274, 1039/274 तक प्रार्थीगण को 10 फुट चौड़ा रास्ता दिलाया जावे। उक्त रास्ते को नक्शे में तरमीम किया जावे। उक्त रास्ते का समस्त खर्चा प्रार्थीगण वहन करने को तैयार है। बिना सहायता न्यायालय अप्रार्थीगण को उनके द्वारा किये जा रहे अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य से रोका जाना सम्भव नही है। अगर अप्रार्थीगण अपने अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य में सफल हो गये तो प्रार्थीगण अपने स्वामित्व की आराजी पर आने जाने एवं कृषि यन्त्र लाने ले जाने से वंचित हो जावेगे जिससे प्रार्थीगण समय पर अपने खेत को नही हंकवा सकेगें, सिंचाई नही कर सकेगें तथा प्रार्थीगण की आराजी पड़त रह जावेगी तथा रास्ते के अभाव में प्रार्थीगण को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा जिसके फलस्वरूप प्रार्थीगण को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना सम्भव नही होगी तथा प्रार्थीगण को अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पड़ेगा। अतः प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन करते है कि प्रार्थीगण को उसके स्वामित्व की आराजी ग्राम बमोरी की ख.नं. 274, ख0नं0 1039/274 पर आने जाने हेतु अप्रार्थीगण की ग्राम एवं माल बमोरी

की ख.नं. 283, 1174/276, 282, 277, 279, 1018/208, 1172/274, 276 एवं 278 के बीच की मेड़ पर होकर स्थायी रास्ता 10 फुट चौड़ाई में दिलाया जावे तथा उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में नक्शे में तरमीम किया जावे। प्रार्थीगण रास्ते की मुआवजा राशि नियमानुसार जमा कराने को तैयार है। विवादग्रस्त आराजी वाके ग्राम एवं माल बमोरी तहसील अटरू जिला बारां में स्थित है जिसका क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सत्य तथ्यों पर आधारित है। प्रार्थना पत्र अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। यह कि अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन करते है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण को ग्राम बमोरी में उनके स्वमित्व की आराजी ख.नं. 274 एवं ख0नं0 1039/274 पर आने जाने एवं कृषि यन्त्र लाने ले जाने का स्थायी रास्ता 10 फुट चौड़ा अप्रार्थीगण के खेत ग्राम एवं माल बमोरी के ख.नं. 283, 1174/276, 282, 277, 279, 1018/208, 1172/274, 276 एवं 278 के बीच की मेड़ पर होकर दिलाया जावे तथा उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड में नक्शे में तरमीम किया जावे। प्रार्थीगण रास्ते की मुआवजा राशि नियमानुसार जमा कराने को तैयार है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में उक्त रास्ता दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी क्रम 11 तहसीलदार साहब को प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी क्रम 1 लगायत 10 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने के कारण उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रकरण के संबंध में तहसीलदार अटरू से मौका रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू द्वारा क्रमांक/राजस्व/2024/498 दिनांक 19.02.2024 से मौका रिपोर्ट पेश कर कथन किया कि वादी रामचन्द्र (फौत) के वारिसान बाबूलाल पुत्र रामचन्द्र वगैरह के खेत के खसरा नं0 274/1146 है तथा वादी अशोक पुत्र छीतरलाल वगै0 के खेत के खसरा नं0 1039/274 रकबा 1.46 है0 पर पहुचने हेतु वर्तमान में कोई रिकोर्डेड या वैकल्पिक रास्ता नही है। रास्ते की नितान्त आवश्यकता है। ख0नं0 274 के उत्तरी–पूर्वी कोने पर पहुचने के लिए रास्ते की न्यूनतम दूरी की लम्बाई–चौडाई व खसरों का विवरण निम्न प्रकार होगा–

1. खसरा नं0 1018/280 में रास्ते की लम्बाई×चौडाई 117×2 वर्गमीटर = 234 वर्गमीटर
2. खसरा नं0 279 में रास्ते का क्षेत्रफल 37×2 वर्गमीटर = 74 वर्गमीटर

3. खसरा नं0 278 में रास्ते का क्षेत्रफल 36×2 वर्गमीटर = 72 वर्गमीटर
4. खसरा नं0 277 में रास्ते का क्षेत्रफल 83×2 वर्गमीटर = 166 वर्गमीटर
5. खसरा नं0 282 में रास्ते का क्षेत्रफल 85×2 वर्गमीटर = 170 वर्गमीटर
6. खसरा नं0 1174/276 में रास्ते का क्षेत्रफल 180×2 वर्गमीटर = 360 वर्गमीटर
7. खसरा नं0 1172/274 में रास्ते का क्षेत्रफल 10×2 वर्गमीटर = 20 वर्गमीटर
8. खसरा नं0 283 में रास्ते का क्षेत्रफल 140×2 वर्गमीटर = 280 वर्गमीटर

अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस सुनी। अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को दौहराते हुऐ निवेदन किया कि प्रार्थीगण को ग्राम बमोरी की आराजी ख0नं0 274 का रकबा 1.46 है0 एवं ख0नं0 1039/274 का रकबा 1.46 है0 तक पहुंच हेतु कोई रिकोर्डेड रास्ता नहीं है। प्रार्थी वर्षो से ख0नं0 283, ख0नं0 282, ख0नं0 276 के बीच की मेड होकर गुजरते आये है लेकिन वर्तमान में अप्रार्थीगण द्वारा रास्ते में पत्थर डालकर रास्ता अवरूद्व कर दिया गया है। अतः नया रिकार्डेड रास्ता लेना प्रार्थीगण की absolute आवश्यकता है क्योंकि प्रार्थीगण के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रिकोर्डेड रास्ता नहीं है और नया रास्ता नहीं दिया तो प्रार्थी का खेत पडत रह जायेगा जिससे प्रार्थी के परिवार के पालन पोषण मुश्किल हो जायेगा। अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा आगे तर्क किया कि प्रार्थी, अप्रार्थीगण को रास्ते की भूमि का DLC दरो से दुगुनी दरो पर भुगतान करने के लिए तैयार है।

अभिभाषकगण की बहस के प्रकाश में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। ग्राम बमोरी की प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता संख्या 317 का ख0नं0 274 रकबा 1.46 है0 आराजी में प्रार्थी का नाम खाते दर्ज है तथा ग्राम बमोरी जमाबंदी सम्वत 2070 से 2073 के खाता संख्या 120 की किता 2 रकबा 3.18 है0 आराजी में प्रार्थी क्रम 2 का हिस्सा 1/5 सहखातेदार के रूप में दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण की आराजी तक पहुंच हेतु वर्तमान में कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है।

वर्तमान में ग्राम व माल बमारी जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 खाता संख्या 190 का ख0नं0 282 रकबा 0.54 है0 आराजी प्रतिवादी क्रम 4 नरेन्द्र कुमार पुत्र रामस्वरूप के नाम दर्ज रिकार्ड है। जमाबन्दी ग्राम व माल बमोरी जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 खाता संख्या 356 का ख0नं0 283 रकबा 1.35 है0 आराजी प्रतिवादी क्रम 3 रामस्वरूप पुत्र मन्नालाल के नाम दर्ज रिकार्ड

है। ग्राम व माल बमोरी जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 खाता संख्या 481 का ख0नं0 1174/276 रकबा 0.98 है0 व ख0नं0 1172/274 का रकबा 0.10 है0 आराजी प्रतिवादी क्रम 9 लक्ष्मीनारायण पुत्र श्याममुरारी के नाम दर्ज रिकार्ड है। ग्राम व माल बमोरी जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 खाता संख्या 379 का ख0नं0 1018/280 रकबा 0.62 है0 आराजी प्रतिवादी क्रम 7 शिवशकंर पुत्र प्रभूलाल व प्रतिवादी क्रम 10 बद्रीलाल पुत्र प्रभूलाल के नाम दर्ज रिकार्ड है। जमाबन्दी ग्राम व माल बमोरी जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 खाता संख्या 255 का ख0नं0 279 रकबा 0.47 है0 आराजी प्रतिवादी क्रम 5 भगवती बाई पत्नी गिरधारी के नाम दर्ज रिकार्ड है। जमाबन्दी ग्राम व माल बमोरी जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 खाता संख्या 320 का ख0नं0 277 रकबा 0.51 है0 आराजी प्रतिवादी क्रम 8 रामचन्द्र पुत्र धन्नालाल के नाम दर्ज रिकार्ड है। जमाबन्दी ग्राम व माल बमोरी जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 खाता संख्या 301 का ख0नं0 278 रकबा 0.46 है0 आराजी प्रतिवादी क्रम 6 राजेश बाई पत्नी राजमल के नाम दर्ज रिकार्ड है।

अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। धारा 251 क आर0टी0एक्ट0 के तहत नये रास्ता दिये जाने से पूर्व निम्न शर्तो के पालना जरूरी है:–

- वैकल्पिक रास्ता नही होना
- रास्ते की नितान्त आवश्यकता होना
- सबसे लघुत्तम रास्ता होना

- तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2024/498 दिनांक 19.02.2024 के अनुसार प्रार्थीगण के नाम दर्ज ख0नं0 274 रकबा 1.46 है0 व ख0नं0 1039/274 रकबा 1.46 है0 आराजी तक पहुंच हेतु अन्य कोई रिकार्डेड रास्ता उपलब्ध नही है। अतः वैकल्पिक रास्ते का अभाव साबित होता है।
- तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2024/498 दिनांक 19.02.2024 के अनुसार प्रार्थीगण के खेत तक पहुंचने और कृषि उपकरणों को लाने ले जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। कृषि कार्य करने हेतु आवागमन व कृषि यंत्र लाने ले जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता होती है। अतः रास्ते की नितान्त आवश्यकता साबित होती है।

- तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2024/498 दिनांक 19.02.2024 के अनुसार प्रार्थीगण के खेत ख0नं0 274 एवं ख0नं0 1039/274 तक पहुंच हेतु रास्ता खसरा नं0 283, खसरा नं0 1174/276, 1172/274, खसरा नं0 282, खसरा नं0 277, खसरा नं0 278, खसरा नं0 1018/280 एवं खसरा नं0 279 में होकर रास्ता दिया जावे तो रास्ते की लंबाई 1376 मीटर व चौडाई 4 मीटर होगी, जो सबसे लघुत्तम रास्ता है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट के विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

—::क्रियात्मक आदेश ::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर0टी0एक्ट स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण के स्वामित्व खातेदारी की आराजी ग्राम बमोरी के खाता संख्या 317 का ख0नं0 274 व ग्राम बमोरी के खाता संख्या 120 का ख0नं0 1039/274 आराजी तक पहुंच हेतु ग्राम बमोरी तहसील अटरू के खाता संख्या 356 के खसरा नं0 283, ग्राम बमोरी तहसील अटरू के खाता संख्या 481 खसरा नं0 1174/276 व ख0नं0 1172/274, ग्राम बमोरी तहसील अटरू के खाता संख्या 190 खसरा नं0 282, ग्राम बमोरी तहसील अटरू के खाता संख्या 320 खसरा नं0 277, ग्राम बमोरी तहसील अटरू के खाता संख्या 301 खसरा नं0 278, ग्राम बमोरी तहसील अटरू के खाता संख्या 379 खसरा नं0 1018/280 एवं ग्राम बमोरी तहसील अटरू के खाता संख्या 255 खसरा नं0 279 से मेड के सहारे—सहारे 4 मीटर चौडा एवं 1376 मीटर लम्बा यानी 5504 वर्ग मीटर भूमि पर रास्ता कायम कर 0.5504 है0 भूमि की **DLC** दर की दुगनी राशि अप्रार्थी क्रम 3 ता 10 को दिये जाने पर रास्ता कायम किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में गै0 मु0 रास्ता दर्ज करें।

निर्णय आज दिनांक 30.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां